जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

पत्रांक: BRLPS/Proj-SJY/1552/VOL-II/19/546 दिनांक: 18.06.2021

कार्यालय आदेश

चमकी बुखार (AES) से प्रभावित प्रखंडों में सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत लक्षित परिवारों के चयन हेतु विशेष ड्राइव

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत जीविका द्वारा ग्रामीण बिहार के अत्यंत निर्धन परिवारों को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने के लिए विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

सतत् जीविकोपार्जन **योजना** अंतर्गत **चमकी** बुखार (AES) से **प्रभावित** 30 प्रखंडों (अनुलग्नक-1 के अनुसार) में इस योजना के अंतर्गत आच्छादित किए जाने वाले परिवारों के चयन के लिए दिनांक-25 जून 2021 से 10 जुलाई 2021 तक विशेष अभियान के लिए कार्ययोजना के अनुरूप प्रस्तावित है |

05 जिलों के चमकी बुखार से प्रभावित 30 प्रखंडों में 25 जून 2021 से 10 जुलाई 2021 के बीच अत्यंत निर्धन परिवारों का चयन

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत पात्रता धारण करने वाले अत्यंत निर्धन परिवारों के चयन के लिए प्रखंड परियोजना प्रबन्धक जिम्मेदार होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रखंड में कोई भी योग्य अत्यंत-गरीब परिवार ना छूटे। इस प्रक्रिया में प्रखंड में कार्यरत क्षेत्रीय समन्वयकों, जीविकोपार्जन विशेषज्ञों और सामुदायिक समन्वयकों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा |

अभियान हेतु संबन्धित प्रखंडों के प्रखंड परियोजना प्रबन्धकों द्वारा सभी ग्राम संगठनों में ग्राम संगठन के दो ऐसे सदस्य और एक सामुदायिक कैडर (जीविका मित्र/बूक कीपर /एमआरपी) की पहचान की जाएगी जो पढ़ और लिख सके। इस कार्य में क्षेत्रीय समन्वयक, जीविकोपार्जन विशेषज्ञ और सामुदायिक समन्वयक सहयोग करेंगे | इस प्रकार एक 3 सदस्यीय चयन टीम होगी जिसे BPIU टीम द्वारा इस कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। पुराने प्रखंडों में पूर्व में कार्य करने वाले अनुभवी टीम का उपयोग किया जा सकता है।

3 सदस्यीय टीम लक्षित परिवारों के चयन में शामिल होगी और ग्राम संगठन के सहयोग से उपर्युक्त **परिवारों** का चयन करेगी। एक ग्राम संगठन के क्षेत्र में एक टीम कार्य करेगी।

चयन प्रक्रिया (25 जून से 10 जुलाई 2021) –प्रत्येक ग्राम संगठन में 5 दिवसीय अभियान की रूपरेखा

पहला दिन :

ग्राम संगठनों की विशेष बैठक : सतत् जीविकोपार्जन योजना पर ग्राम संगठनों के सदस्यों का उन्मुखीकरण

ग्राम संगठन (VO) के **कार्यालय** प्रतिनिधियों और अन्य सदस्यों को एस.जे.वाई **चयन** प्रक्रिया पर उन्मुखीकरण (अनुलग्नक -2 के अनुसार) किया जाएगा | उन्मुखीकरण के दौरान इस बात पर बल दिया जाएगा कि अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए सतत् जीविकोपार्जन **योजना** कैसे मददगार होगी | एस.जे.वाई कार्यक्रम में चयन प्रक्रिया ग्राम संगठन के द्वारा पूरी की जाएगी, ग्राम संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थियों का चयन सही हो |

जिम्मेदारी : **प्रखंड परियोजना प्रबंधक**

दूसरा, तीसरा तथा चौथा दिन :

गाँव का भ्रमण और अत्यंत निर्धन परिवारों का सूचीकरण

चयन टीम के सदस्य घर-घर जाकर अनुलग्नक 3 के अनुरूप से दो सूचियाँ तैयार करेंगी । पहली सूची में उन परिवारों की सूची होगी जिन्हें स्वयं सहायता समूह में शामिल करने की आवश्यकता है। दूसरी सूची सतत् जीविकोपार्जन योजना के मापदंडों के आधार पर एस.जे.वाई (जो स्वयं सहायता समूह का सदस्य नहीं भी हो) में शामिल किए जाने वाले परिवारों की होगी :-

1. **अत्यंत निर्धन परिवार, जो पारंपरिक रूप से ताड़ी / देशी शराब के व्यवसाय में लगे हुए थे ।**
2. **अनुसूचित जाति / जनजाति समुदायों के अत्यंत-गरीब परिवार |**
3. **अन्य समुदायों के अत्यंत निर्धन परिवार |**

इस संबंध में चयन टीम एक अनुलग्नक पूर्व-निर्धारित प्रपत्र भरेगी और मापदंडों के आधार पर एस.जे.वाई का हिस्सा बनने के लिए परिवारों का सूचिकरण करेगी ।

बीपीआईयू द्वारा सभी क्लस्टर में संकुल सहायक अथवा एम.बी.के अथवा बूक कीपर में से किसी एक का चयन किया जाएगा | इनके द्वारा ड्राइव के दौरान चयन टीम द्वारा सूचीबद्ध परिवारों का गृह भ्रमण किया जाना है और यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है की चयन टीम के सदस्यों द्वारा परिवारों का सूचीकरण ठीक से किया गया है और कोई भी योग्य परिवार नहीं छोड़ा गया है। क्षेत्रीय समन्वयक चयनित परिवारों की जाँच करेंगे तथा जांच रिपोर्ट बीपीआईयू में जमा करेंगे। (अनुलग्नक 4 के रूप में संलग्न)

पाँचवाँ दिन :

ग्राम संगठन द्वारा चयनित परिवारों के निरीक्षण और चयन हेतु विशेष बैठक

चयन टीम के सदस्य द्वारा अत्यंत निर्धन परिवारों की सूची पर चर्चा एवं अत्यंत-गरीब के रूप में सत्यापित करने हेतु ग्राम संगठन की विशेष बैठक (प्रतिनिधि निकाय/ BOD सदस्यों के साथ) का आयोजन किया जाएगा | ग्राम संगठन बैठक में प्रस्तुत किए गए सूची के अनुसार सामूहिक रूप से किसी भी संभावित गलत चयन का विरोध कर सकती है अथवा यदि उनके पास यह जानकारी है कि सूची में किसी योग्य परिवार को शामिल नहीं किया गया है तो उस परिवार को सूची में शामिल करने के लिए पुनः चयन टीम के साथ गृह भ्रमण कर सकती है | ग्राम संगठन बैठक में यह सुनिश्चित करेगा कि एस.जे.वाई के लिए चुने गए लाभार्थी अत्यंत-गरीब हैं |

ग्राम संगठन चर्चा के उपरांत संतुष्ट होने पर चयनित परिवारों के चयन का अनुमोदन करेगा एवं अनुमोदन के पश्चात सीआरपी टीम द्वारा चिन्हित अत्यंत-गरीब परिवारों की अंतिम सूची अनुलग्नक 5 के प्रारूप में तैयार की जाएगी |

<u>परिवारों का अनुमोदन पुष्टि चरण (15 जुलाई 2021 तक)</u>

ग्राम संगठन द्वारा एस.जे.वाई के तहत लक्षित परिवारों के चयन के बाद बीपीआईयू द्वारा समानांतर जाँच किया जाएगा कि एस.जे.वाई के लिए चुने गए लाभार्थी अत्यंत-गरीब हैं और उन्हें लक्षित परिवार माना जाना चाहिए । जांच के दौरान बी.पी.आई.यू यह पाता है कि लक्षित परिवारों में से किसी के चयन पर पुनर्विचार किया जाना है तो इसके लिए पुनः ग्राम संगठन की बैठक का आयोजन किया जाएगा और इस प्रक्रिया को 15 जुलाई 2021 तक पूरा किया जाएगा |

इस कार्य के लिए बीपीएम द्वारा AC,LHS,CC को मिलाकर एक टीम बनाया जा सकता है ।

जिम्मेदारी: प्रखंड परियोजना प्रबन्धक और प्रखंड मेंटर

प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई के कार्य :

1. बी.पी.आई.यू द्वारा 20 जुलाई 2021 तक MIS के माध्यम से अनुमोदित रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा ।
2. 04 जिलों के 30 प्रखंडों में विशेष चयन प्रक्रिया में सभी ग्राम संगठन भाग लेंगे ।
3. बी.पी.आई.यू द्वारा ड्राइव के दौरान कार्य करने वाली टीम को ड्राइव समाप्त होने के 15 दिनों के अंदर मानदेय भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा । भुगतान मानदंडों का पालन करते हुए बी.पी.आई.यू से संबंधित टीम के सदस्यों को किया जाएगा ।

जिम्मेदारी : प्रखंड परियोजना प्रबंधक

जिला परियोजना समन्वयन इकाई के कार्य :

1. डी.पी.सी.यू 15 जुलाई 2021 तक MIS के माध्यम से चयनित अत्यंत निर्धन परिवारों की सूची राज्य कार्यालय के साथ साझा करेगा ।
2. ग्राम संगठन द्वारा एस.जे.वाई के तहत अत्यंत निर्धन परिवारों के चयन के लिए दिशा निर्देश के अनुसार प्रारूप और किट (पेन, पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर) टीम के सदस्यों को एक फ़ोल्डर में उपलब्ध कराया जाएगा ।
3. डी.पी.सी.यू द्वारा चयन ड्राइव और सत्यापन के दौरान डी.पी.सी.यू के कर्मियों और और बीपीएम को फील्ड मूवमेंट के लिए वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी | वाहन पर होने वाले व्यय का समायोजन एस.जे.वाई के तहत किया जाएगा ।

व्यय और बजटीय प्रावधान

एस.जे.वाई अनुमोदन बजट

क्रम	*विवरण*	*इकाई*	*अभियुक्ति*
1.	परियोजना कर्मियों का उन्मुखीकरण	5 जिलों के 30 प्रखंड	परियोजना कर्मियों के गैर आवासीय प्रशिक्षण बी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी शीर्ष के तहत व्यय एवं बुक किया जाएगा।
2.	3 सदस्यीय टीम का उन्मुखीकरण	30 प्रखंड	जीविका की प्रशिक्षण की इकाई लागत के अनुसार बी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी शीर्ष के तहत सामुदायिक संगठकों के गैर आवासीय प्रशिक्षण हेड में बुक किया जाएगा।
3.	ड्राइव अवधि के दौरान वाहन उपलब्धता	ड्राइव के दौरान के लिए प्रति प्रखंड 7 दिन के लिए वाहन और जिला स्तर पर अतिरिक्त 12 दिनों के लिए वाहन चयन	कार्यालय आदेश संख्या BRLPS/Proj/197/10/1775 दिनांक: 18.8.2018 में उल्लिखित इकाई लागत के अनुसार बी.पी.आई.यू के लिए अनिवार्य 10 दिनों के अलावा एस.जे.वाई हेड में बुक किया जाएगा ।
4.	3 सदस्यीय टीम को मानदेय	प्रति टीम (प्रखंड में ग्राम संगठनों की संख्या के अनुसार)	टीम के प्रत्येक सदस्य को जीविका के सीआरपी पॉलिसी के अनुसार प्रतिदिन का मानदेय का भुगतान किया जाएगा। भुगतान पर हुआ व्यय को बी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी के सीआरपी ड्राइव हेड में बुक किया जाएगा।
5.	CF/MBK/BK को संसाधन शुल्क	सभी 30 प्रखंडों में 1 सदस्य प्रति क्लस्टर	सीएफ/एमबीके/बीके को उनके नियत क्लस्टर में ड्राइव के दौरान पहचाने गए परिवारों के गृह भ्रमण के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रति दिन 200/- रुपये का भुगतान किया जाएगा। व्यय की प्रविष्टि को बी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी के तहत की जाएगी।

क्रम	विवरण	इकाई	अभियुक्ति
6.	प्रोत्साहन भुगतान	प्रति टीम (प्रखंड में आवश्यकता अनुसार)	1. ताड़ी व्यवसाय / देशी शराब के कारोबार में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत-गरीब परिवारों के चयन के बाद टीम को प्रति परिवार 90/- का भुगतान किया जाएगा। 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के अत्यंत-गरीब परिवारों के अंतिम अनुमोदन के बाद टीम को प्रति परिवार 75/- रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस व्यय को बी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी के तहत समायोजित किया जाना है।
7.	सभी प्रारूपों/ स्टेशनरी की छपाई	अनुलग्न किए गए दस्तावेज़	BPIU के पास चयन ड्राइव के दौरान प्रिंटिंग / फॉर्मेट के फोटो कॉपी और स्टेशनरी के लिए अतिरिक्त रु 10000/- की राशि का प्रावधान होगा। चयन टीम को सभी फॉर्मेट एक फोल्डर में उपलब्ध कराया जाना है। इसे ओरिएंटेशन के दौरान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस व्यय को बी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी के तहत दर्ज किया जाना है।
8.	विविध व्यय	प्रति टीम (प्रखंड में आवश्यक टीम के अनुसार)	बी.पी.आई.यू के पास एस.जे.वाई एंडोर्समेंट ड्राइव के विविध खर्चों के लिए प्रति टीम 2000/- रुपये का अतिरिक्त बजट होगा। इस व्यय को एस.जे.वाई के तहत समायोजित किया जाएगा।
9.	बूक कीपर के लिए प्रोत्साहन राशि	चयनित 30 प्रखंडों में 1 बूक कीपर प्रति ग्राम संगठन।	चयन ड्राइव के दौरान लेखांकन करने और ग्राम संगठन की बैठकें आयोजित करने के लिए संबंधित बूक कीपर को 100/- रुपये प्रति ग्राम संगठन भुगतान किया जाएगा। इस व्यय को बी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी के सीआरपी ड्राइव उप घटक के तहत बुक किया जाएगा।
10.	MIS पर परिवारों के प्रोफाइल प्रविष्टि के लिए प्रोत्साहन राशि	प्रखंड/जिला स्तर पर अनुमोदित परिवारों प्रोफाइल की प्रविष्टि	5/- रुपये प्रति हाउस होल्ड प्रोफाइल (बी.पी.आई.यू के सत्यापन के बाद) एस.जे.वाई एम.आई.एस में प्रविष्टि के लिए संबंधित डेटा ऑपरेटर को भुगतान किया जाएगा। इस खर्च का समायोजन बी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी हेड में किया जाएगा।

संबन्धित जिला परियोजना प्रबन्धकों / प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि वे चमकी बुखार से प्रभावित प्रखंडों में सतत् जीविकोपार्जन योजना द्वारा लक्षित परिवारों के चयन के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करेंगे और लक्षित परिवारों के चयन की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेंगे।

12/06/2021

(बालामुरूगन डी.)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह मिशन निर्देशक

प्रतिलिपि :

1. मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सितामढ़ी एवं शिवहर जिले के जिला परियोजना प्रबन्धक, वित्त प्रबन्धक एवं एसजेवाई नोडल
2. एस.जे.वाई राज्य इकाई के सभी सदस्य
3. संबन्धित संचिका

nnexure-1 **List of AES Blocks for Endorsement of Ultra-Poor Households under SJY**

Sl No	District	Block
1	MUZAFFARPUR	Bandra
2	MUZAFFARPUR	Baruraj (Motipur)
3	MUZAFFARPUR	Bochaha
4	MUZAFFARPUR	Gaighat
5	MUZAFFARPUR	Kanti
6	MUZAFFARPUR	Kurhani
7	MUZAFFARPUR	Marwan
8	MUZAFFARPUR	Dholi (Moraul)
9	MUZAFFARPUR	Minapur
10	MUZAFFARPUR	Saraiya
11	MUZAFFARPUR	Musahri
12	MUZAFFARPUR	Paroo
13	MUZAFFARPUR	Katra
14	MUZAFFARPUR	Sahebganj
15	MUZAFFARPUR	Sakra
16	MUZAFFARPUR	Aurai
17	PURBI CHAMPARAN	Chakia(Pipra)
18	PURBI CHAMPARAN	Tetaria
19	PURBI CHAMPARAN	Chiraia
20	PURBI CHAMPARAN	Madhuban
21	PURBI CHAMPARAN	Dhaka
22	PURBI CHAMPARAN	Kalyanpur
23	PURBI CHAMPARAN	Mehsi
24	PURBI CHAMPARAN	Pakri Dayal
25	PURBI CHAMPARAN	Motihari
26	PURBI CHAMPARAN	Banjaria
27	SHEOHAR	Tariani Chowk
28	SITAMARHI	Runisaidpur
29	VAISHALI	Patepur
30	VAISHALI	Vaishali

Annexure: 2

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत लक्षित परिवारों के चयन के मापदंड

क). चयन के लिए सभी अनिवार्य मापदंड पुरे करने हैं :-											
(क्र)				(ख)				(ग)			
देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री मेंपारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन गरीब परिवार				अनुसूचित जाति, जनजाति समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार				अन्य समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार			
क्रसं.	मापदंड	हाँ	नहीं	क्र सं	मापदंड	हाँ	नहीं	क्र.सं	मापदंड	हाँ	नहीं
1 (a)	परिवार के सदस्य देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री मेंपारम्परिक रूप से जुड़े थें			2 (a)	अनुसूचित जाति एवं जनजाति से परिवार है			3 (a)	परिवार का प्रमुख पुरुष अक्षम या कार्य करने में असमर्थ हैं		
1 (b)	परिवार में आय का एकमात्र श्रोत केवल देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से था एवं वर्तमान में कोई स्थायी आय का श्रोत परिवार को उपलब्ध नहीं है			2 (b)	परिवार का प्रमुख पुरुष अक्षम या कार्य करने में असमर्थ हैं			3 (b)	परिवार में मुख्य पैसा कमाने वाली व्यक्ति महिला है		
1 (c)	परिवार का मासिक आय (□ 3000 से कम है)			2 (c)	परिवार का मासिक आय (□ 3000 से कम है)			3 (C)	परिवार का मासिक आय (□ 3000 से कम है)		

(ख) वैकल्पिक मापदंडो: अत्यंत निर्धन गरीब परिवारों का चयन तब होगा जब निम्न बारह वैकल्पिक मापदंडो में से सात में नहीं आता हैं |

क्रसं	ख) नीचे दिए गए मापदंडोमें से चयन के लिए 7 में " नहीं" अनिवार्य है :-	हाँ	नहीं
1	परिवार के किसी भी सदस्य को पिछले 15 दिनों में मजबूरन भूखा नहीं रहना पड़ा है		
2	परिवार के किसी भी सदस्य ने एक से ज्यादा बार 5000रुपये से अधिक का औपचारिक श्रोतोंसे ऋण (MFI एवं बैंक से) लिया है		
3	परिवार के पास 5 कट्ठा याउससे अधिक की खेती लायक ज़मीन है जिसका उपयोग स्वयं कर रहे है		
4	परिवारका कोई भी सदस्य आय अर्जित करनेके लिए 5000 रूपये से अधिक मूल्यकी उत्पादक सम्पति का मालिक है ओर उसका उपयोग कर रहा है		
5	परिवार के पास कम से कम दो सरकारी योजनाओ का लाभ पिछले तीन महीनों से लगातार पहुँच रहा है (पेंशन,मनरेगा एवंजन वितरण प्रणाली)		
6	परिवार के पास अपना पक्का मकान(छत एवं दिवार) है		
7	परिवार के बच्चे अधिकांश दिन स्कूल जा रहे हैं		
8	परिवार के पास आय काएक से अधिक श्रोत है		
9	परिवार किसी भी संगठन से जुडा है और उसके बैठक में पिछले तीन महीने से लगातार उपस्थित हो रहा है		
10	परिवार के द्वारा पिछले तीन महीनो सेलगातारबचत किया गया है (स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत किये गए बचत के अलावा)		
11	परिवार के घर शौचालय है और उसका उपयोग कर रहा है		
12	परिवार का कोई भी सदस्य बाहर कमाने गया है तथा पिछले तीन महीनोंमें लगातार घर में पैसा भेज रहा है		

Household Targeting Format (Through VO) **Annexure-3 (a)**

…चायत का नाम		**जिला**	
गाँव/ टोला		**प्रखण्ड**	
ग्राम संगठन का		**सी. एल. एफ का नाम**	

क्र.	वार्ड नo	गृह संख्या	सदस्य का नाम	पति/पिता का नाम	सामाजिक समावेशन (अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, मुस्लिम, सामान्य एवं अन्य)	समूह सदस्य (हाँ/नहीं)	प्रवर्तक एजेंसी (Jeevika, WDC, PRADAN, Co-opted ...)	समूह का नाम	छूटे घरों को जोड़ लिया गया (हाँ/नहीं)	टिप्पणी
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

VO के अध्यक्ष का नाम: **VO के अध्यक्ष का हस्ताक्षर:**

Annexure -3 (b)

जीविका द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत परिवार सर्वेक्षण प्रश्नावली

A. मूलभूतजानकारी

सर्वेक्षण का तारीख	
परिवार के मुखिया का नाम	
गाँव कानाम	
वार्ड संख्या	
पंचायत का नाम	
प्रखंड का नाम	
जिला का नाम	
ग्राम संगठन का नाम	

B. उत्तरदाता के बारे में जानकारी

1. उत्तरदाता का नाम : ____________________

2. उत्तरदाता की आयु : ____________________

3. उत्तरदाता का लिंग :
कृपया सही (√) का चिन्ह लगायें

पुरुष		महिला		अन्य	

4. परिवारों के सदस्यों की संख्या:

व्यस्क पुरुष		व्यस्क महिला		बच्चे	लड़का:
					लड़की:

5. परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या :

पुरुष		महिला	

6. पारिवारिक विवरणी:

क्र. सं.	परिवार के सदस्य का नाम (बड़ेसे छोटे उम्र केक्रम में)	आयु	व्यवसाय	मासिक आय	टिप्पणियां

__नोट__: *यदि यहाँ तक की जानकारी प्राप्त करने तक परिवार की कोई भी महिला कार्य करने योग्य एवं समूह से जुड़ने लायक नहीं पाए जाती है तो सर्वेक्षण कार्य उचित कारण देते हुए समाप्त करे।अन्यथा लक्षित महिला लाभार्थी की श्रेणी में पाए जाने की स्थिति में आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रश्नावली को भरें।*

C.लक्षित परिवार (महिला समूह से जुड़ी हैं / जुड़ने योग्य है) के संबंध में जानकारी

1. महिला का नाम : ______________________

2. महिला की आयु : ______________________

3. जन्म तिथि(दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार) : ______________________

4. वैवाहिक स्थिति : विवाहित ☐ अविवाहित ☐ विधवा ☐
कृपया सही (√) का चिन्ह लगायें

तलाकशुदा ☐ विवाहित लेकिन पति के साथ नहीं रहती है ☐

5. पति/पिता का नाम : ______________________

6. शैक्षणिक योग्यता:(कृपया सही (√) का चिन्ह लगायें)

निरक्षर	हस्ताक्षर साक्षर	प्राथमिक	मैट्रिकुलेशन (10thपास)	उच्च माध्यमिक (10+2 पास)	स्नातक	स्नातकोत्तर

7. **जातिश्रेणी**: अनुसूचित जाति (SC) ☐ अनुसूचित जन जाति (ST) ☐ पिछड़ा जाति (BC) ☐

अत्यंतपिछड़ाजाति(EBC) ☐ अल्पसंख्यक(Minority) ☐ सामान्य (Gen.) ☐

8. उत्तरदाता महिला किसी स्वयं सहायता समूह (SHG) का सदस्य है : हां ☐ नहीं ☐

9. यदि हां, तो स्वयं सहायता समूह (SHG) का नाम : ______________________

10. स्वयं सहायता समूह (SHG) में भागीदारी: नियमित ☐ अनियमित ☐

11. स्वयं सहायता समूह (SHG) से ऋण लिया गया है : हां ☐ नहीं ☐

12. बकाया ऋण की राशि : ______________________

13. ऋण का उद्देश्य : ______________________

D लक्षितपरिवारों को चयन करने का जाँच प्रतिवेदन

लक्षित परिवार की परिभाषा :सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को शामिल किया जायेगा।

(क) अनिवार्य मापदंड: अत्यंत निर्धन परिवारों का चयन तब होगा जब वे तीन अनिवार्य मापदंडो को पूरा करते हैं |

क). चयन के लिए, सभी अनिवार्य मापदंड पुरे करने हैं :-

(क) देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री मेंपारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन गरीब परिवार				(ख) अनुसूचित जाति, जनजाति समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार				(ग) अन्य समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार			
क्रसं.	मापदंड	हाँ	नहीं	क्र मं	मापदंड	हाँ	नहीं	क्र. सं	मापदंड	हाँ	नहीं
1 (a)	परिवार के सदस्य देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री मेंपारम्परिक रूप से जुड़े थें			2 (a)	अनुसूचित जाति एवं जनजाति से परिवार है			3 (a)	परिवार का प्रमुख पुरुष अक्षम या कार्य करने में असमर्थ हैं		
1 (b)	परिवार में आय का एकमात्र श्रोत केवल देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से था एवं वर्तमान में कोई स्थायी आय का श्रोत परिवार को उपलब्ध नहीं है			2 (b)	परिवार का प्रमुख पुरुष अक्षम या कार्य करने में असमर्थ हैं			3 (b)	परिवार में मुख्य पैसा कमाने वाली व्यक्ति महिला है		
1 (c)	परिवार का मासिक आय (3000 से कम है)			2 (c)	परिवार का मासिक आय (3000 से कम है)			3 (c)	परिवार का मासिक आय (3000 से कम है)		

(ख)वैकल्पिक मापदंडो: अत्यंतनिर्धन गरीब परिवारों का चयन तब होगा जबनिम्न बारह वैकल्पिक मापदंडो में से सातमें नहीं आता हैं |

क्रसं	**ख)नीचे दिए गए मापदंडोमें से चयन के लिए 7 में " नहीं" अनिवार्य है :-**	हाँ	नहीं
1	परिवार के किसी भी सदस्य को पिछले 15 दिनों में मजबूरन भूखा नहीं रहना पड़ा है		
2	परिवार के किसी भी सदस्य ने एक से ज्यादा बार 5000रुपये से अधिक का औपचारिक श्रोतोंसे ऋण (MFI एवं बैंक से) लिया है		
3	परिवार के पास 5 कट्ठा याउससे अधिक की खेती लायक ज़मीन है जिसका उपयोग स्वयं कर रहे है		
4	परिवारका कोई भी सदस्य आय अर्जित करनेके लिए 5000 रूपये से अधिक मूल्यकी उत्पादक सम्पति का मालिक है ओर उसका उपयोग कर रहा है		
5	परिवार के पास कम से कम दो सरकारी योजनाओ का लाभ पिछले तीन महीनों से लगातार पहुँच रहा है (पेंशन,मनरेगा एवंजन वितरण प्रणाली)		
6	परिवार के पास अपना पक्का मकान(छत एवं दिवार) है		
7	परिवार के बच्चे अधिकांश दिन स्कूल जा रहे हैं		
8	परिवार के पास आय काएक से अधिक श्रोत है		
9	परिवार किसी भी संगठन से जुडा है और उसके बैठक में पिछले तीन महीने से लगातार उपस्थित हो रहा है		
10	परिवार के द्वारा पिछले तीन महीनो सेलगातारबचत किया गया है (स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत किये गए बचत के अलावा)		
11	परिवार के घर शौचालय है और उसका उपयोग कर रहा है		
12	परिवार का कोई भी सदस्य बाहर कमाने गया है तथा पिछले तीन महीनोंमें लगातार घर में पैसा भेज रहा है		

E. सी०आर०पी टीम के द्वारा टिप्पणी:

सी०आर०पी का नाम: .... हस्ताक्षर: ....

सी०आर०पी का नाम: .... हस्ताक्षर: ....

सी०आर०पी का नाम: .... हस्ताक्षर: ....

F. सर्वेक्षण किया गया परिवार (लाभार्थी): | चयनित | अस्वीकृत |

कृपया सही (✓) का चिन्ह लगायें

G. अनुमोदक (ग्राम संगठन) की टिप्पणी : (चयन / अस्वीकृति का कारण)

ग्राम संगठन केसचिव का नाम : ....

तारीख के साथ हस्ताक्षर : ....

नोट: अत्यंत निर्धन परिवारोंके चयन के लिए दिशानिर्देश: -

1. अनुभाग डी.ए (D. क) के तहत सभी तीन अनिवार्य मापदंड को भरना आवश्यक है|
2. अनुभाग डी.बी (D. ख) के तहत चयन के लिए 12 मापदंडो में से चयन के लिए '7' में'नहीं'होना अनिवार्य है |

A exure: 4

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत प्रखंड इकाई द्वारा लक्षित परिवारों का जाँच प्रतिवेदन

प्रखंड इकाई द्वारा लक्षित परिवारों का सत्यापन ग्राम संगठन द्वारा अनुमोदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर पूरा करना है। यह सत्यापन / जाँच प्रक्रिया मुख्य रूप से CRP राउंड के दौरान लक्षित परिवारों का चयन की त्रुटियों को हटाने पर केंद्रित होगी, (यदि कोई हो, तो) । प्रखंड इकाई (BPIU) द्वारा नए परिवारों का चयन नहीं किया जाना है।]

A. मूलभुत जानकारी

प्रखंड इकाई (BPIU) द्वारा सत्यापन की तिथि	
लक्षित परिवार का नाम (महिला लाभार्थी)	
जिला का नाम	
प्रखंड का नाम	
पंचायत का नाम	
ग्राम संगठन का नाम	
ग्राम संगठन द्वारा लक्षित परिवार का सत्यापन की तिथि	

B. लक्षित परिवार के बारे में जानकारी

1. जन्म तिथि (दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार) : ____________________

2. परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या :

पुरुष		महिला	

3. लक्षित परिवार का कुल मासिक आय () : ____________________

C. लक्षित परिवारों को चयन करने का जाँच प्रतिवेदन

(क) अनिवार्य मापदंड: अत्यंत निर्धन परिवारों का चयन तब होगा जब वे तीन अनिवार्य मापदंडो को पूरा करते हैं |

क). चयन के लिए, सभी अनिवार्य मापदंड पुरे करने हैं :-											
(क) देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री मेंपारम्परिक रूप से जुडे अत्यंत निर्धन गरीब परिवार				**(ख)** अनुसूचित जाति, जनजाति समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार				**(ग)** अन्य समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार			
क्रमं.	मापदंड	हाँ	नहीं	क्र मं	मापदंड	हाँ	नहीं	क्र. मं	मापदंड	हाँ	नहीं
1 (a)	परिवार के सदस्य देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री मेंपारम्परिक रूप से जुडे थें			2 (a)	अनुसूचित जाति एवं जनजाति से परिवार है			3 (a)	परिवार का प्रमुख पुरुष अक्षम या कार्य करने में असमर्थ हैं		
1 (b)	परिवार में आय का एकमात्र श्रोत केवल देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से था एवं वर्तमान में कोई स्थायी आय का श्रोत परिवार को उपलब्ध नहीं है			2 (b)	परिवार का प्रमुख पुरुष अक्षम या कार्य करने में असमर्थ हैं			3 (b)	परिवार में मुख्य पैसा कमाने वाली व्यक्ति महिला है		
1 (c)	परिवार का मासिक आय (3000 से कम है)			2 (c)	परिवार का मासिक आय (3000 से कम है)			3 (c)	परिवार का मासिक आय (3000 से कम है)		

(ख) ल्पिक मापदंडो: अत्यंतनिर्धन गरीब परिवारों का चयन तब होगा जबनिम्न बारह वैकल्पिक मापदंडो में से सातमें नहीं आता हैं|

क्रसं	ख) नीचे दिए गए मापदंडोमें से चयन के लिए 7 में " नहीं" अनिवार्य है :-	हाँ	नहीं
1	परिवार के किसी भी सदस्य को पिछले 15 दिनों में मजबूरन भूखा नहीं रहना पड़ा है		
2	परिवार के किसी भी सदस्य ने एक से ज्यादा बार 5000रुपये मे अधिक का औपचारिक श्रोतोंसे ऋण (MFI एवं बैंक से) लिया है		
3	परिवार के पास 5 कट्ठा याउससे अधिक की खेती लायक ज़मीन है जिसका उपयोग स्वयं कर रहे है		
4	परिवारका कोई भी सदस्य आय अर्जित करनेके लिए 5000 रूपये मे अधिक मूल्यकी उत्पादक सम्पति का मालिक है और उसका उपयोग कर रहा है		
5	परिवार के पास कम से कम दो सरकारी योजनाओं का लाभ पिछले तीन महीनों से लगातार पहुँच रहा है (पेंशन,मनरेगा एवंजन वितरण प्रणाली)		
6	परिवार के पास अपना पक्का मकान(छत एवं दिवार) है		
7	परिवार के बच्चे अधिकांश दिन स्कूल जा रहे हैं		
8	परिवार के पास आय काएक से अधिक श्रोत है		
9	परिवार किसी भी संगठन से जुडा है और उसके बैठक में पिछले तीन महीने से लगातार उपस्थित हो रहा है		
10	परिवार के द्वारा पिछले तीन महीनो सेलगातारबचत किया गया है (स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत किये गए बचत के अलावा)		
11	परिवार के घर शौचालय है और उसका उपयोग कर रहा है		
12	परिवार का कोई भी सदस्य बाहर कमाने गया है तथा पिछले तीन महीनोंमें लगातार घर में पैसा भेज रहा है		

D: नोट: अत्यंत निर्धन परिवारोंके चयन के लिए दिशानिर्देश: -

1. सभी तीन अनिवार्य मापदंड को भरना आवश्यक है|
2. चयन के लिए 12 मापदंडो में से चयन के लिए '7' में'नहीं'होना अनिवार्य है |

E. प्रखंड इकाई के द्वारा टिप्पणी:

सत्यापन में शामिल परियोजना कर्मी का नाम एवं हस्ताक्षर

तारीख:

Annexure -5

ग्राम संगठन द्वारा सतत्त जीविकोपार्जन योजना के तहत लक्षित परिवारों की सूची

ग्राम संगठन का नाम : तारीख:

ग्राम: वार्ड संख्या: पंचायत:

प्रखंड: ज़िला:

क. लक्षित परिवारों की संख्या

विवरणी	संख्या
कुल परिवारों की संख्याजिनका प्रथम सूची में नाम आया(अनुलग्नक-1)	
सर्वेक्षण योग्य परिवारों की संख्या	
सर्वेक्षण में शामिल परिवारों की संख्या	
सर्वेक्षण के बाद चयनित परिवारों / लाभार्थियों की संख्या	
सत्यापन की बाद कुल लक्षित परिवारों की संख्या (अंतिम सूची)	

ख. लक्षित परिवारों की सूची

क्र. सं.	लक्षित परिवार का नाम(महिला लाभार्थी)	पिता/ पति का नाम	**जाति श्रेणी** (अ०जा०, अ०जन०जा०,पि०जा०, अ०पि०जा०, अल्पसंख्यक एवं सामान्य)	**लक्षित परिवारों की विवरणी**			कितने मापदंड में नहीं लिखा गया है (अनुलग्नक 2: D. ख केवैकल्पिक मापदंडो के अंतर्गत)
				देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री मेंपारम्परिक रूप में जुड़े अत्यंत निर्धन गरीब परिवार	अनुसूचित जाति, जनजाति समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार	अन्य समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार	

क्र. सं.	लक्षित परिवार का नाम(महिला लाभार्थी)	पिता/ पति का नाम	जाति श्रेणी (अ०जा०, अ०जन०जा०,पि०जा०, अ०पि०जा०, अल्पसंख्यक एवं सामान्य)	लक्षित परिवारों की विवरणी			कितने मापदंड में नहीं लिखा गया है (अनुलग्नक 2: D. ख केवैकल्पिक मापदंडो के अंतर्गत)
				देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री मेंपारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन गरीब परिवार	अनुसूचित जाति, जनजाति समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार	अन्य समुदायों के अत्यंत निर्धन गरीब परिवार	

हमारा ग्राम संगठन जिसका नाम ...., ग्राम.............................. यह सत्यापित करता है की उपर लिखे परिवार अत्यंत गरीब है ओर उन्हें ग्राम संगठन एवं परियोजना द्वारा सहयोग दिया जायेगा तथा आने वाले तीन महीनो में उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ लिया जाएगा |

क्र.सं.	नाम	पद नाम	हस्ताक्षर	ग्राम संगठन का मोहर एवं सचिव का हस्ताक्षर
1		सचिव		
2		अध्यक्ष		
3		कोषाध्यक्ष		
4		उपसचिव		
5		उपअध्यक्ष		